



न्यायालय तहसीलदार तहसील देवभोग तहसील, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक 0707012024002913

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 2020-24-002736

आवेदन तिथि 19/08/2020

प्रमाणित किया जाता है कि टंकधर पिता केशबो निवासी जामगांव तहसील देवभोग तहसील जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी है।
क्योंकि वह,

(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित चार में से एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता हो :-

✓ 1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो,

✓ 2. (क) वह, अथवा

✓ (ख) उसके पालकों में से कोई, अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा हो.

3. उसको पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,

✓ 4. (क) वह स्वयं अथवा

✓ (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :-

✓ 5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा,

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियेट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

✓ (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा.

(2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीगण तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(घ) राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(3) उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

प्रदेश के स्थानीय निवासी माने जायेंगे.

अनुमोदन तिथि 19/08/2020

डिजिटल हस्ताक्षरित

बाबूलाल कुरे

नायब तहसीलदार

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन)

नियम, २००३ के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक निवास प्रमाण पत्र का सक्षम व क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होने का सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक निवास प्रमाण पत्र में निहित है।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी edistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।

4. यदि इस प्रमाण पत्र को किसी प्राधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा ग्रहण करने से इंकार किया जाता है तो इसकी सूचना निकट के चॉइस केन्द्र/लोक सेवा केंद्र को दें

अथवा तहसीलदार कार्यालय 0734 4012758 पर संपर्क करें।

मुद्रण तिथि 19/08/2020

प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

लोक सेवा /चॉइस एजेंट के हस्ताक्षर

